

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2025 - एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि.....(अ).- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

क्र.सं. .	अध्याय, शीर्ष, उप- शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	5 %
2.	4202 22, 4202 29, 4202 31 10, 4202 31 90,	हैंडबैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं; ज्वेलरी बॉक्स	5 %

	4202 32, 4202 39		
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशीदार उत्पाद, कलाकृतियां/लकड़ी की सजावटी वस्तुएं (इनमें जड़ाऊ काम, कास्क, बैरल, वैट्स भी आते हैं)	5 %
4.	4414	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लिए लकड़ी के फ्रेम	5 %
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ित, ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी के खरादी और रोगन का काम (जिसमें खरादी और रोगन का काम, अंबाड़ी सिसल शिल्प भी आते हैं)	5 %
6.	4503 90 90, 4504 90	कॉर्क की कलाकृतियां (जिसमें शोलापिथ की वस्तुएं भी आती हैं)	5 %
7.	4601 और 4602	चटाई, चटाई और वनस्पति सामग्री की स्क्रीन, टोकरी का काम, विकरवर्क और वनस्पति सामग्री या अन्य प्लेटिंग सामग्री की अन्य वस्तुएं, लूफा की वस्तुएं [जिसमें बांस, रतन, बेंत और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (प्राकृतिक रूप से सूखे हुए), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगाल, रामबान वस्तुएं, शोला आइटम, कौना/चुमथांग (सरकंडा) शिल्प, जलकुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट भी शामिल हैं]	5 %
8.	4802	हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड	5 %
9.	4823	कागज के माचे से बनी वस्तुएं	5%
10.	5607, 5609	कॉयर की वस्तुएं	5%
11.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सजावट जो कपास के धागे या ऊनी धागे और आभला (दर्पण) से बनी हो, चाहे उसमें लटकने वाले फ्लैप्स हों या नहीं	5%
12.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टेक्सटाइल फ्लोर कवरींग (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल हैं)	5 %
13.	5804 30 00	हस्तनिर्मित लेस	5 %
14.	5805	हाथ से बुने हुए कशीदे	5 %

15.	5808 10	हाथ से बनी चोटी और अलंकृत ट्रिमिंग, जो अलग-अलग हैं	5 %
16.	5810	हाथ से कढ़ाई वाली वस्तुएं	5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित/हाथ की कढ़ाई वाले शॉल	5 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशीदार उत्पाद (जैसे कि मूर्तियां, छोटी मूर्तियां, जानवरों की आकृतियां, राइटिंग सेट, एशट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	5 %
19.	6815 99 90	पत्थर की कलाकृतियां, पत्थर का जड़ाई का काम	5 %
20.	6912 00 10, 6912 00 20	मिट्टी और टेराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, मिट्टी की अन्य वस्तुएं	5%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरी समेत)	5 %
22.	7009 92 00	सजावटी फ्रेम वाले दर्पण	5 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और छोटी-मोटी वस्तुएं	5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हैं]	5 %
25.	7020 00 90	कांच की कलाकृतियां [इनमें बर्तन, जार, वोटिव, कास्क, केक कवर, ट्यूलिप बॉटल, फूलदान भी आते हैं]	5 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन काम	3%
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिनमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, इलायची की माला भी आती हैं)	3 %
28.	7326 90 99	लोहे की कलाकृतियां	5 %
29.	7419 80	पीतल, तांबे/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलाकृतियां, जो निकल/चांदी से इलेक्ट्रो-प्लेटेड हों	5 %
30.	7616 99	एल्यूमीनियम की कलाकृतियां	5 %

	90		
31.	8306	घंटियाँ, गोंग और वैसी ही वस्तुएं, जो बेस मेटल की हों और गैर-इलेक्ट्रिक हों; बेस मेटल की मूर्तियां, और अन्य आभूषण; बेस मेटल के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम; बेस मेटल के दर्पण; (जिनमें बिदरीवेयर, पंचलौगा कलाकृतियां, मूर्ति, स्वामीमलाई कांस्य आइकन, ढोकरा जाली भी आते हैं)	5 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैंप (जिनमें पंचलौगा लैंप भी शामिल हैं)	5%
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रतन और बेंत का फर्नीचर	5 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़ा सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने (जिनमें सावंतवाड़ी के लकड़ी के खिलौने, चन्नपटना खिलौने, तंजावुर की गुड़िया भी आते हैं)	5 %
35.	9504	गंजिफा कार्ड	5 %
36.	9601	हाथीदांत, हड्डी, कछुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सींग, मूंगा, मदर ऑफ पर्ल, समुद्री शंख, और अन्य पशु-नक्काशी सामग्री से बनी वस्तुएं	5 %
37.	9602	काम की हुई वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं; मोम, स्टीयरिन, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन, या मॉडलिंग पेस्ट से बनी वस्तुएं आदि (जिनमें लाख, शेलाक की वस्तुएं भी आती हैं)	5 %
38.	9701	हाथ की पेंटिंग्स, ड्राइंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ताड़-पत्ती पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	5 %
39.	9703	धातु, पत्थर या किसी अन्य सामग्री की मूल मूर्तियां और मूर्तिकला	5 %”

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा

भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 22/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 20/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021

द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 899(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।